प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 90/2024)

तत्काल प्रकाशन हेतु

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

विषय: सुरक्षित एसएमएस सेवा के लिए संदेश अभिवीक्षणीयता (ट्रेसेबिलिटी) का कार्यान्वयन

नई दिल्ली, 30 नवंबर 2024: - भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने वाणिज्यिक संदेश भेजने वालों का पूर्ण पता लगाने सहित पाठ्य संदेशों के सुरक्षित प्रसारण को सुनिश्चित करने हेतु कई उपाय किए हैं।

संदेश अभिवीक्षणीयता (ट्रेसेबिलिटी) को बेहतर बनाने के दृष्टिकोण से, भादूविप्रा द्वारा दिनांक 20 अगस्त 2024 को निदेश जारी किया गया और उसमें यह अधिदिष्ट किया गया कि प्रेषक से प्राप्तकर्ताओं को भेजे जाने वाले सभी वाणिज्यिक संदेश दिनांक 1 नवंबर 2024 से ट्रेस किए जाने योग्य होने चाहिए। उन निदेशों के अनुपालन में, सभी एक्सेस प्रदाताओं ने तब से अपेक्षित तकनीकी समाधान तैनात किए हैं। तथापि, तकनीकी उन्नयन के लिए एक संक्रमण समय प्रदान करने और वाणिज्यिक संदेशों के प्रेषकों यानी प्रमुख संस्थाओं (पीई) और टेलीमार्केटर्स (टीएम) द्वारा श्रृंखला घोषणा करने के लिए, भादूविप्रा ने दिनांक 28 अक्टूबर 2024 के अपने निदेश के माध्यम से समय सीमा को दिनांक 30 नवंबर 2024 तक बढ़ा दिया।

जागरूकता पैदा करने के लिए, भादूविप्रा द्वारा विभिन्न सेक्टर विनियामकों (भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, पीएफआरडीए और आईआरडीएआई), केंद्र और राज्य सरकार के विभागों और अन्य संगठनों को पत्र भेजकर अनुरोध किया गया कि वे विनियमों के शीघ्र अनुपालन के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रमुख संस्थाओं (पीई) को जागरूक करें। इसके अलावा, भादूविप्रा द्वारा एक्सेस प्रदाताओं के साथ मिलकर वेबिनार आयोजित किए गए, जिसमें पीई, टीएम, केंद्र और राज्य सरकार के विभागों, सेक्टर विनियामकों और उद्योग संघों जैसी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पीई और टीएम के साथ सीधे जुड़ाव हेतु, एक्सेस प्रदाताओं द्वारा अतिरिक्त वेबिनार, ईमेल संचार और इंटरैक्टिव सत्रों की व्यवस्था की गई।

इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, सत्ताईस हजार से अधिक पीई ने पहले ही संबंधित एक्सेस प्रदाताओं के साथ अपनी श्रृंखला पंजीकृत कर ली हैं और आगे का पंजीकरण तीव्र गति से चल रहा है। एक्सेस प्रदाताओं ने उन सभी पीई और टीएम को चेतावनी नोटिस भेजे हैं और भेज रहे हैं जिन्होंने अभी तक अपेक्षित बदलाव लागू नहीं किए हैं।

इसलिए प्राधिकरण ने पीई-टीएम श्रृंखला घोषणा की प्रगति का मूल्यांकन करने के पश्चात, एक्सेस प्रदाता/सीओएआई के अनुरोध पर विचार करते हुए और दिनांक 28 अक्टूबर, 2024

के अपने पहले के निदेश में आंशिक संशोधन करते हुए, एक्सेस प्रदाताओं को निदेश दिया है कि वे सभी पीई और टीएम द्वारा दिनांक 10 दिसंबर, 2024 तक पीई-टीएम श्रृंखला की घोषणा सुनिश्चित करें और पीई-टीएम श्रृंखला बाइंडिंग में चूक करने वाले पीई और टीएम को दैनिक आधार पर चेतावनी जारी करना जारी रखें। दिनांक 11 दिसंबर 2024 से, कोई भी ट्रैफ़िक (संदेश) जहाँ टेलीमार्केटर्स की श्रृंखला परिभाषित नहीं है या पूर्व-निर्धारित श्रृंखला से मेल नहीं खाती है, उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। पीई और टीएम को फिर से सलाह दी जाती है कि वे प्राथमिकता के आधार पर श्रृंखलाओं की घोषणा में शीघ्रता लाएँ क्योंकि कोई भी संदेश जो ट्रेसिबिलिटी विनियमन का पालन करने में विफल रहता है, उसे 11 दिसंबर 2024 से अस्वीकार कर दिया जाएगा।

ह/-

(अतुल कुमार चौधरी)
सचिव, भादूविप्रा

*****